न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 43/2018 (आर सी एम एस नम्बर 2018/00113)

उनवानी प्रकरण :–

1. भूपसिहं पुत्र गोकुलाराम जाति जाटव निवासी ग्राम लालौनी हार तहसील बाडी जिला धौलपुर———————————————अपीलान्ट।

बनाम्

1. मुन्नी पुत्री गोकुलाराम पत्नी गोपाल जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला बीच वाली बस्ती सैंया तहसील खेरागढ जिला आगरा
2. द्रोपती पुत्री गोकुला पत्नी मंजू जाति जाटव निवासी राजनगर लोहामण्डी आगरा तहसील आगरा जिला आगरा
3. प्रबन्धक पंजाव नेशलन बैंक शाखा बिजोली तहसील बाडी जिला धौलपुर
4. तहसीलदार बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर ——————रेस्पोडेण्टस् ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. रा. अधिनियम
विरूद्व नामान्तकरण संख्या 882 दिनांक
16.6.2018 ग्राम लालौनी हार पटवार
मण्डल मरहौली तहसील बाडी जिला धौलपुर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 व 2 की ओर से :– श्री राजेन्द्र सिहं राना अभिभाषक।
3. रेस्पोडेण्ट नम्बर 4 की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0।

निर्णय दिनॉक 12.2.2020

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बाडी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 882 दिनांक 16.6.2018 वाके ग्राम लालौनीहार पटवार मण्डल मरहौली तहसील बाडी से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट का दत्तक पिता गोकुला पुत्र भोंदू आराजी खसरा नम्बर 49 रवका 0.01 विस्वा 104 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा, 252 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा, 483 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा 484 रकवा 02 विस्वा, 485 रकवा 14 विस्वा, 486 रकवा 1 बीघा, 500 रकवा 14 विस्वा, 546 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा कुल कित 9 कुल रकवा 9 बीघा

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

06 विस्वा वाके ग्राम लालौनी हार पटवार मण्डल मरहौली तहसील बाडी का राजस्व रिकोर्ड में खातेदार था जिसका निधन दिनांक 5.5.2014 को हो चुका है। और उपरोक्त आराजी विरासतन मृतक के दत्तक पुत्र अपीलान्ट तथा पुत्रीयॉ रेस्पोडेण्टस् संख्या 1 व 2 पर प्रकांत हो चुका है। दिनांक 16.6.2018 को राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मरहौली पर आयोजित हुआ था उसमें मृतक के स्थान पर अपीलान्ट ने दाखिल खारिज खुलवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र उपखण्डाधिकारी बाडी के समक्ष प्रस्तुत किया जो पंजिका में कमांकः 102/18 पर दर्ज कर रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को भेज दिया । वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 104, 546, तथा 252 का विकय गोकुला द्वारा अपने जीवन काल में कर दिया था जिसका नामान्तकरण नहीं खुला था। इसलिए केतागण ने भी अपने नामान्तकरण खुलवाने बावत राजस्व कैम्प 16.6.2018 में उपखण्डाधिकारी बाडी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे जिन्हें उपखण्डाधिकारी बाडी ने मार्क कर रेस्पोडेण्ट संख्या 4 तहसीलदार बाडी को दे दिया फिर भी सभी प्रार्थना पत्रों को नजरन्दाज करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने मनमाने ढंग से अपीलान्ट को इग्नोर करते हुए समस्त रकवे पर सिर्फ मृतक की पुत्रीयॉ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण संख्या 882 पर दाखिल खारिज फैसल कर दिया जो नियम विरूद्ध हैं। तथा आदेश विधि विरूद्ध मनमाने ढंग से पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट दत्तक पुत्र की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं कर सिर्फ मृतक की पुत्री रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तकरण फैसल कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने केतागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर कोई गौर नहीं करते हुए मृतक की खातेदारी में अकिंत समस्त आराजी का नामान्तकरण अकेले रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर कानून के विपरीत दाखिल खारिज फैसल किया है जबकि मृतक द्वारा विकय किये जाने वाले खसरा नमबर की टिप्पणी नामान्तकरण पर अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा अकिंत की गई थी फिर भी समस्त आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण फैसल करते समय पटवारी हल्का अथवा गिरदावर से मृतक का शिजरा नामान्तकरण पर दर्ज नहीं करा कर विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण फैसल करने से पूर्व उत्तराधिकारियों के बारे में ठीक से जॉच नहीं करवायी और मृतक के दत्तक पुत्र अपीलान्ट का नाम मृतक उत्तराधिकारियों में अकिंत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित नामान्तकरण आनन फानन में राजस्व कैम्प मरहौली में महज निस्तारण की संख्या बढाने के आशय से कानून के प्रावधानों को ताक में रखकर विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण आदेश संख्या 882 दिनांक 16.6.2018 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि मृतक के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच की जाकर विधिवत नामान्तकरण फैसल किये जाने के आदेश दिये जावे ।

(आर0 के0 जाधसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रेस्पोडेण्टस् को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असलातन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ।

रेस्पोडेण्टस् नम्बर 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र सिहं राना अभिभाषक ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित नामान्तकरण के माध्यम से जिस कृषि भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया है उसका खातेदार काश्तकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का पिता गोकुंला पुत्र भौदू जाति जाटव निवासी लालौनी हार तहसील बाडी था तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 मृतक गोकुला की पुत्रियॉं हैं, मृतक गोकुला के कोई पुत्र नहीं था। अपीलान्ट जो अपने आपको स्वर्गीय गोकुला का दत्तक पुत्र कहकर आया है उसका यह कथन सर्वथा मिथ्या है। अपीलान्ट को स्वर्गीय गोकुला ने कभी भी दत्तक पुत्र के तौर पर ग्रहण नहीं किया वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट भूप सिहं का स्वर्गीय गोकुला से कोई निजी रिश्ता नहीं था। अपीलान्ट खूबी ऊर्फ खूबा पुत्र नैनसुख का पुत्र है। अपीलान्ट के पिता खूबी/खूबा पुत्र नैनसुख की ग्राम लालौनीहार में कृषि भूमि खसरा नम्बर 321, 322, 322/611, 503 एवं 508 कुल किता 5 कुल रकवा 6 बीघा 19 विस्वा है जिसमें अपीलान्ट के पिता खूबी का 1/2 हिस्सा है। अपीलान्ट के पिता खूबी/खूबा के निधन के बाद उसकी छोडी हुई उपरोक्त कृषि भूमि पर दिनांक 5.11.2009 को विरासतन नामान्तकरण खूबा के उपरोक्त सभी वारिशान जिसको शिजरे में बतलाया गया है, के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार हुआ है। जिसमे अपीलान्ट के नाम भी नामान्तरकरण हुआ है। जो अपीलान्ट की स्वंय की ओर से कराया गया है। जिससे यह साबित है कि अपीलान्ट खूबा का पुत्र है, यदि अपीलान्ट स्व0 गोकुला का दत्तक पुत्र रहा होता तो उसके प्राकृतिक पिता खूबा की छोडी हुई जायदाद में से किसी प्रकार का अधिकार शेष नहीं रहता, मगर उक्त तथ्य को अपीलान्ट द्वारा छुपाते हुए यह अपील गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 महिलाऐं हैं इस बजह से अपीलान्ट उनकी जायदाद में हिस्सेदार बनने की योजनाऐं बना रहा है एवं अपने आपको स्व. गोकुला का दत्तक पुत्र बताकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में अकिंत खसरा नम्बर 104, 546, 252 जिनके बारे में यह कथन किया गया है कि उक्त तीनों खसरा नम्बरान स्वर्गीय गोकुला द्वारा अपने जीवनकाल में विकय कर दिये थे जिनका नामान्तरकरण नहीं हुआ है यह तथ्य अपील में स्पष्ट नहीं हैं कि उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरान का विकय पत्र किसके पक्ष में हुआ यदि अपीलान्ट के अलावा किसी अन्य केता के पक्ष में कोई बयनामा हुआ है तो उसके लिये केतागण पीडित पक्षकार माने जा सकते हैं। उनकी ओर से अपीलान्ट को किसी प्रकार की आपत्ति लेने का अधिकार नहीं है। कथित गोद का बिन्दु नामान्तरकरण

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राजस्थान)

की प्रकिया में तय नहीं किया जा सकता । उसके लिये सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट को स्वत्व घोषणा के लिये अपना बाद पत्र प्रस्तुत करने की पूरी आजादी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 882 दिनांक 16.6.2018 वाके ग्राम लालौनीहार तहसील बाडी यथावत रखा जावे ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में नकल नामान्तकरण संख्या 882 दिनांक 16.6.2018 वाके ग्राम लालौनीहार, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 35 वाके ग्राम लालौनीहार, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र अनार देई पत्नी भूपसिहं, फोटो प्रति तहसीलदार बाडी का पत्र कमाक 100 दिनांक 16.6.2018, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र सुनीता पत्नी हरिकिशन तहसीलदार बाडी कमांकः 99 दिनांक 16.6.2018, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र भूप सिहं पुत्र गोकुला तहसीलदार बाडी कमांकः102 दिनांक 16.6.2018, तहसीलदार बाडी के पत्र कमांकः1110 दिनांक 11.6.2018 की फोटो प्रतिलिपि, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र वासदेव पुत्र नत्थी उपखण्डाधिकारी बाडी कमांक 101/18, फोटो प्रति बोटर लिस्ट सन् 2018 ग्राम लालौनीहार तहसील बाडी, असल राशनकार्ड नम्बर 249 गोकुला पुत्र भौदूराम ग्राम लालोनीहार, असल राशनकार्ड नम्बर 114 भूप सिहं पुत्र गोकुला, फोटो प्रति परिवार के सदस्यों का विवरण, फोटो प्रति आधार कार्ड नम्बर 5310 6811 1647 भूपसिहं, फोटो प्रति राशनकार्ड नम्बर 91 भूपसिहं पुत्र गोकुला फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र गोकुला दिनांक 5.5.2014 पेश की।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने अपने जबाव के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 ग्राम लालौनीहार तहसील बाडी, नकल नामान्तरकरण संख्या 675 दिनांक 5.11.2009 ग्राम लालौनीहार तहसील बाडी पेश की ।

उभय पक्ष बहस सुनने के बाद प्रकरण में निर्णय से पूर्व तहसीलदार बाडी से निम्न बिन्दुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की ।

1. प्रकरण में मृतक गोकुला पुत्र भौदू जाति जाटव निवासी लालोनीहार की आराजी पर आप द्वारा अपने पत्र कमांकः 1110 दिनांक 11.6.2018 द्वारा पटवारी हल्का मृतक की पुत्रियॉ मुन्नीदेवी एवं द्रोपदी के नाम विरासतन नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जबकि अपीलान्ट अपने आप को मृतक गोकुला का दत्तक पुत्र बता रहा है अतः आप यह स्पष्ट करें कि क्या अपीलान्ट भूपसिहं मृतक गोकुला का दत्तक पुत्र है या नहीं ? यदि दत्तक पुत्र है तो आप द्वारा उक्त आदेश में अपीलान्ट भूपसिहं को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया।
2. नामान्तरकरण संख्या 882 दिनांक 16.6.2018 में भू0 अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 16.6.2018 में यह अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 104 546 एव 252 का पंजीकृत बयनामा हो चुका है तथा केतागणों का ही कब्जा काश्त है जिनके बयनामा भी राजस्व अभियान दिनांक

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

को पेश हुए थे जब उक्त पंजीकृत बयनामा आपके ध्यान में नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व आ गये थे तो आप द्वारा किन परिस्थितियों वश केतागणों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया? नामान्तरकरण संख्या 882 को स्वीकृत करने से पूर्व आप द्वारा मृतक गोकुला के वारिसान का सिजरा अंकित क्यों नहीं किया ?

3. राजस्व अभियान दिनांक 166.2018 के दौरान आपके पास अमरवाई पत्नी भूपसिहं सुनीता पत्नी हरिकिशन जाति जाटव एवं वासुदेव पुत्र नत्थीलाल जाति जाटव ने आपके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मृतक गोकुला के द्वारा उनके हक में किये गये आराजी के बयनामा का नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया किन्तु आप द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का बिना निस्तारण किये नामान्तरकरण संख्या 882 किस आधार पर स्वीकृत किया गया।
4. अभियान के दौरान अपीलान्ट भूपसिहं द्वारा आपके समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय क प्रस्तुत किया कि मृतक गोकुला के कृषि भूमि का नामान्तरकरण होना है जिसे तीनों सन्तानों के नाम खोला जाये या फिर उसे रोका जाये। आप द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की बिना जॉच किये एवं बिना निस्तारण किये नामान्तरकरण किन तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया गया।
5. नामान्तरकरण संख्या 675 दिनांक 5.11.2009 वाके ग्राम लालोनीहार मे मृतक खूबा ऊर्फ खूबी पुत्र नैनसुख जाति जाटव निवसी लालोनीहार के वारिसाान के नाम जो सिजरा अकिंत किया गया है उसमें अपीलान्ट भूपसिहं को मृतक खूबा का पुत्र बताया है तथा विरासतन नामान्तरकरण मे मृतक खूबा ऊर्फ खूबी द्वारा छोडी गई आराजी में हिस्सेदार दर्ज भी है इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करें।

उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में तहसीलदार बाडी ने अपने पत्र दिनांक 22.7.2019 के द्वारा बिन्दु बार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो निम्न प्रकार है।

1. भूपसिहं द्वारा दत्तक पुत्र होने के सम्बन्धित कोई दस्तावेज (रजिस्टर्ड एवं नॉन रजिस्टर्ड) प्रस्तुत नहीं किये जिससे भूप सिहं के दत्तक पुत्र होने से सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट हो सके। मृतक गोकुला से भूप सिहं ने अपनी पत्नी अमरवाई के नाम बयनामा करवाया था। यदि भूप सिहं दत्तक पुत्र होता तो अपनी पत्नी के नाम बयनामा कराने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस प्रकार भूप सिहं गोकुला का दत्तक पुत्र नहीं है।
2. आराजी खसरा नम्बर 104, 546, 252 जो कि पी. एन. बी. शाखा बिजौली में रहन दर्ज है वक्त बयनामा भी उक्त खसरा नम्बरान रहन दर्ज थे। ऐसी स्थिति में बयनामा के नामान्तरकरण राजस्व अभियान में दर्ज नहीं किये गये थे। राजस्व अभियान में मृतक गोकुला की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

3. राजस्व अभियान दिनांक 16.6.2018 के दौरान अमरवाई पत्नी भूपसिहं सुनीता पत्नी हरिकिशन व वासुदेव पुत्र नत्थीलाल के बयनामा के नामान्तरकरण पी. एन. बी. में आराजी रहन होने के कारण दर्ज नहीं किये गए।
4. राजस्व अभियान के दौरान अपीलान्ट भूपसिहं द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मृतक गोकुला की कृषि भूमि का नामान्तरकरण तीनों सन्तानों के नाम खोला जाए या रोका जाए। राजस्व अभियान में मजमे आम में जॉच की गई बताया गया कि मृतक गोकुला के दो पुत्रियॉ ही थी। कोई पुत्र नहीं था। भूप सिहं द्वारा मृतक गोकुला का दत्तक पुत्र होने का कोई पंजीकृत / अपंजीकृत दस्तावेज पेश नहीं किया। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 882 को मजमे आम में फैसल कर दिया गया ।
5. नामान्तरकरण संख्या 675 दिनांक 5.11.2009 में मृतक खूबा ऊर्फ खूबी पुत्र नैनसुख जाटव निवासी लालौनीहार के वारिसान के नाम जो सिजरा अंकित है वह सही है। क्योंकि अपीलान्ट भूप सिहं खूबा ऊर्फ खूबसिहं का ही पुत्र है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट गोकुला पुत्र भोदू का दत्तक पुत्र है। इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध राशनकार्डो, वोटरलिस्ट, आधार कार्ड से होती है। अपीलान्ट के पिता गोकुला पुत्र भोंदू आराजी खसरा नम्बर 49 रकवा 01 विस्वा 104 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा, 252 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा, 483 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा 484 रकवा 02 विस्वा, 485 रकवा 14 विस्वा, 486 रकवा 1 बीघा, 500 रकवा 14 विस्वा, 546 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा कुल कित 9 कुल रकवा 9 बीघा 06 विस्वा वाके ग्राम लालौनी हार पटवार मण्डल मरहौली तहसील बाडी का राजस्व रिकोर्ड में खातेदार था जिसका निधन दिनांक 5.5.2014 को हो चुका है। और उपरोक्त आराजी विरासतन मृतक के दत्तक पुत्र अपीलान्ट तथा पुत्रीयॉ रेस्पोडेण्टस् संख्या 1 व 2 पर प्रकांत हो चुका है। दिनांक 16.6.2018 को राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार के दौरान ग्राम पंचायत मरहौली पर आयोजित कैम्प में मृतक के स्थान पर अपीलान्ट ने दाखिल खारिज खुलवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र उपखण्डाधिकारी बाडी के समक्ष प्रस्तुत किया जो रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को भेज दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नजरन्दाज करते हुए मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो नियम विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 104, 546, तथा 252 का विकय गोकुला द्वारा अपने जीवन काल में कर दिया था जिनके भी नामान्तकरण केतागणों के नाम स्वीकृत नहीं किये गये हैं । केतागण ने भी अपने नामान्तकरण खुलवाने बावत राजस्व कैम्प 16.6.2018 में उपखण्डाधिकारी बाडी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे जिन्हें उपखण्डाधिकारी बाडी ने मार्क पर रेस्पोडेण्ट संख्या 4 तहसीलदार बाडी को दे दिया था । तहसीलदार बाडी ने अपीलान्ट एवं केतागणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

अवसर प्रदान नहीं दिया ना ही प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में कोई जॉच पडताल की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण फैसल करने से पूर्व उत्तराधिकारियों के बारे में ठीक से जॉच नहीं करवायी और मृतक के दत्तक पुत्र अपीलान्ट का नाम मृतक उत्तराधिकारियों में अकिंत नहीं किया। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण संख्या 882 पर दाखिल खारिज फैसल कर दिया जो नियम विरूद्ध हैं। इस सम्बन्ध में आर. आर. टी. 2007 (2) पेज संख्या 924 की नजीर प्रस्तुत की जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि " राजस्थान भू राजस्व अधिनियमख 1956 –धारा–135 – नामान्तरकरण –मु. ' एस' तथा गोदपुत्र 'एम' के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया –'एस' की अपील स्वीकार की और गोदनामा की जॉच करने तथा उसके बाद नामान्तरकरण निर्णीत करने हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया 'एम' की अपील खारिज हुई–निगरानी– 'आर'– बिना औलाद के फौत हुआ –'एस' ने गोद का तथ्य स्वीकार नहीं किया– ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीया को बिना सुने आदेश पारित किया –निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष –निर्णीत, आदेश में तात्विक अनियमितता नहीं है।" अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी की है। मृतक द्वारा विकय किये जाने वाले खसरा नम्बर की टिप्पणी नामान्तकरण पर अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा अकिंत की गई थी अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण फैसल करते समय पटवारी हल्का अथवा गिरदावर से मृतक का शिजरा नामान्तकरण पर दर्ज नहीं कराया। मृतक खूबी/खूबा के वारिशान के नाम खोले गये नामान्तकरण में वारिशान की सूची में अपीलान्ट का नाम कैसे दर्ज हुआ जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं है। ना ही अपीलान्ट का खूबी द्वारा छोडी गई आराजी पर कब्जा काश्त है ना ही उसे इस आराजी से कोई लेना देना है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग हैं जिसमे किसी के हित या स्वामित्व सिद्ध नहीं होता है इस सम्बन्ध में आर. आर. टी. 2003 (1) पेज संख्या 650 का दृष्टान्त दिया जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135–नामान्तरकरण कार्यवाहीयॉ–राजस्व (कर) सम्बन्धित प्रविष्टियों जैसे कि नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है, सम्पत्ति में ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक वसीयत या गोद द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाहियों मे निश्चय किया जा सकता है और पक्षकारों को स्वामित्व स्थापित करने के लिए उचित संस्थान में जाना होगा।" अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण आदेश संख्या 882 दिनांक 16.6.2018 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि मृतक गोकुला के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच की जाकर विधिवत नामान्तकरण फैसल किये जाने के आदेश दिये जावे ।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में जबाव में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित नामान्तकरण के माध्यम से जिस कृषि भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया है उसका खातेदार काश्तकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का पिता गोकुंला पुत्र भौदू था

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 मृतक गोकुला की पुत्रियॉ हैं मृतक गोकुला के कोई पुत्र नहीं था। अपीलान्ट जो अपने आपको स्वर्गीय गोकुला का दत्तक पुत्र कह कर आया है वह सर्वथा मिथ्या है। अपीलान्ट को स्वर्गीय गोकुला ने कभी भी दत्तक पुत्र के तौर पर ग्रहण नहीं किया ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्ट मृतक गोकुला का दत्तक पुत्र है। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने बतौर साक्ष्य राशन कार्ड एवं बोटर लिस्ट की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जो कानून मान्य नहीं है। राशन कार्ड एवं वोटर लिस्ट किसी को दत्तक पुत्र मानने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें यह स्पष्ट नहीं हैं कि कौन से तीनों सन्तानों के नाम दाखिला खारिज खोला जावे । वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट भूप सिहं का स्वर्गीय गोकुला से कोई निजी रिश्ता नहीं था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में दत्तक पुत्र की श्रेणी दी गई है जिसके तहत अपीलान्ट दत्तक पुत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्ट ने अपनी पत्नी के नाम पिता गोकुला से आराजी खसरा नम्बर 546 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा का बयनामा करवा कर इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वह मृतक गोकुला का दत्तक पुत्र नहीं है। अपीलान्ट खूबी ऊर्फ खूबा पुत्र नैनसुख का पुत्र है। अपीलान्ट के पिता खूबी/ खूबा पुत्र नैनसुख की ग्राम लालौनीहार में कृषि भूमि खसरा नम्बर 321, 322, 322/611, 503 एवं 508 कुल किता 5 कुल रकवा 6 बीघा 19 विस्वा है जिसमें अपीलान्ट के पिता खूबी का 1/2 हिस्सा है। अपीलान्ट के पिता खूबी/ खूबा के निधन के बाद उसकी छोडी हुई उपरोक्त कृषि भूमि पर दिनांक 5.11.2009 को विरासतन नामान्तरकरण खूबा के उपरोक्त सभी वारिशान जिसको शिजरे में बतलाया गया है, के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार हुआ है। जिसमे अपीलान्ट के नाम भी नामान्तरकरण हुआ है। जो अपीलान्ट की स्वंय की ओर से कराया गया है। जिससे यह साबित है कि अपीलान्ट खूबा का पुत्र है, यदि अपीलान्ट स्व0 गोकुला का दत्तक पुत्र रहा होता तो उसके प्राकृतिक पिता खूबा की छोडी हुई जायदाद में से किसी प्रकार का अधिकार शेष नहीं रहता, मगर उक्त तथ्य को अपीलान्ट द्वारा छुपाते हुए यह अपील गतल तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। अपील में अकिंत खसरा नम्बर 104, 546, 252 जिनके बारे में यह कथन किया गया है कि उक्त तीनों खसरा नम्बरान स्वर्गीय गोकुला द्वारा अपने जीवनकाल में विकय कर दिये थे जिनका नामान्तरकरण नहीं हुआ है यह तथ्य अपील में स्पष्ट नहीं हैं कि उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरान का विकय पत्र किसके पक्ष में हुआ यदि अपीलान्ट के अलावा किसी अन्य केता के पक्ष में कोई बयनामा हुआ है तो उसके लिये केतागण पीडित पक्षकार माने जा सकते हैं। उनकी ओर से अपीलान्ट को किसी प्रकार की आपत्ति लेने का अधिकार नहीं है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिससे किसी के अधिकार तय नहीं होते। कथित गोद का बिन्दु नामान्तरकरण की प्रकिया में तय नहीं किया जा सकता । उसके लिये सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट को स्वत्व घोषणा के लिये अपना बाद पत्र प्रस्तुत कर तय करा सकता है इस सम्बन्ध में आर . आर. डी 2015 पेज संख्या 708 की नजीर पेश है जिसमें यह प्रति पादित किया गया

(आर0 के0 जोयसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

है कि "राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम धारा 84- द्वितीय अपील में सम्भागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय की निगरानी- नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त कलक्टर ने अपास्त की जिसे द्वितीय अपील में सम्भागीय आयुक्त ने उचित माना- मण्डल में निगरानी - अभिनिर्धारित- तहसीलदार द्वारा विरासत का नामान्तरकरण मृतक की दोनों लडकियों के नाम विधि अनुसार दर्ज किया गया- प्रार्थी का दत्तक पुत्र होने का दावा किसी दस्तावेज/ साक्ष्य से समर्थित नहीं - दोनों अधीनस्थ अदालतो के समवर्ती निष्कर्ष- निगरानी सारहीन "। आर बी. जे. 2013 पेज सख्या 74 में यह प्रति पादित किया गया है कि RAJASTHAN LAND REVENUE ACT. 1956 - Section -135 - Mutation is only fiscal proceeding and it does not create any right and there fore, if the petitioner has any right in the property in question on account of his being adopted son of Late Nahar sing has alleged, it is open for him to take appropriate proceedings and seek declaration in this regard from the Court of competent jurisdiction in accordance with law." / अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने आर. आर. टी. 2019 (2) पेज संख्या 1125 के दृष्टान्त दिया जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 –धारा 135– नामान्तरकरण –अतिरिक्त कलेक्टर ने अपील स्वीकार की और मामला तहसीलदार को प्रति प्रेषित किया– अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने आदेश अपास्त किया –रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 ने स्वंय को मृतक का द्वितीय गोदपुत्र होने का दावा किया– निगराकार मृतक की पुत्री है– नामान्तरकरण कार्यवाही वित्तीय कार्यवाही है और अधिकार निर्णीत नहीं किया जा सकता– निर्णीत, आदेश न्यायसंगत है–पक्षकार नियमित बाद पेश कर सकते है।" इसी सम्बन्ध में आर. आर. डी. 1997 पेज संख्या 301 की नजीर पेश की जिसमें यह प्रतिपादित किया गया Rajasthan Land Revenue Act, Section 135-Rajasthan Tenancy Act, Section 207-Code of Civil Procedure, Section 9-Mutation attested in the same of widow overlooking, adoption deed-Held, if mutation is disputed on account of adoption deed, Vasiyat or gift-deed, Tehsildar has right to makeenquiry and order for attestation or rejection and appeal can be filed against his order- When claim of adoption is disputed, declaration of adoption can be given only by a Civil Court and not Revenue Court- In the instant cased, matter is pending in Civil Court, order of Civil Court will be final and all the parties will be bound by the decision of the Civil Court. Revision Accepted. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 882 दिनांक 16.6.2018 वाके ग्राम लालौनीहार तहसील बाडी यथावत रखा जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने एवं प्रस्तुत नजीरों का गहनता पूर्वक मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलान्ट मृतक गोकुला पुत्र भोदू का दत्तक पुत्र नहीं है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत राशनकार्डो, वोटरलिस्ट, आधार कार्ड दत्तक पुत्र मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 104, 546, तथा 252 का विक्रय गोकुला द्वारा अपने जीवन काल में कर दिया था जिनके भी नामान्तकरण केतागणों के नाम स्वीकृत नहीं किये गये हैं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि उक्त आराजी पी. एन. बी. शाखा बिजौली में रहन रखी हुई है जो राजस्व रिकोर्ड में रहन दर्ज है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

नामान्तकरण फैसल करने से पूर्व उत्तराधिकारियों के बारे में ठीक से जॉच नहीं करवायी और मृतक के दत्तक पुत्र अपीलान्ट का नाम मृतक उत्तराधिकारियों में अकिंत नहीं किया। इस सम्बन्ध तहसीलदार बाडी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि राजस्व अभियान में मजमे आम में जॉच की गई मजमे अम में बताया गया कि मृतक गोकुला के दो पुत्रियॉ ही थी। कोई पुत्र नहीं था। भूप सिहं द्वारा मृतक गोकुला का दत्तक पुत्र होने का कोई पंजीकृत /अपंजीकृत दस्तावेज पेश नहीं कर सका इसलिए नामान्तरकरण संख्या 882 को मजमे आम में फैसल कर दिया गया । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कहना उचित नहीं है कि मृतक खूबी/खूबा के वारिशान के नाम खोले गये नामान्तकरण में वारिशान की सूची में अपीलान्ट का नाम कैसे दर्ज हुआ जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं है। ना ही अपीलान्ट का खूबी द्वारा छोडी गई आराजी पर कब्जा काश्त है ना ही उसे इस आराजी से कोई लेना देना है क्योंकि मृतक खूबा के वारिसान का नामान्तरकरण संख्या 675 दिनांक 5.11.2009 को स्वीकृत हुआ है शिजरा में भी अपीलान्ट का नाम अंकित है यह कैसे सम्भव है कि 11 वर्ष तक अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हुई जबकि अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने वहस के दौरान कथन किया था कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है किन्तु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन सही है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग हैं जिसमे किसी के हित या स्वामित्व सिद्ध नहीं होता है। रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन सही है कि विवादित नामान्तकरण के माध्यम से जिस कृषि भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया है उसका खातेदार काश्तकार गोकुंला पुत्र भौदू था । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 मृतक गोकुला की पुत्रियॉ हैं मृतक गोकुला के कोई पुत्र नहीं था इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार बाडी की रिपोर्ट से होती है। अपीलान्ट द्वारा अपनी पत्नी के नाम मृतक गोकुला से आराजी खसरा नम्बर 546 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा का बयनामा करवा कर इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वह मृतक गोकुला का दत्तक पुत्र नहीं है। अपीलान्ट खूबी ऊर्फ खूबा पुत्र नैनसुख का पुत्र है। अपीलान्ट के पिता खूबी/ खूबा पुत्र नैनसुख की ग्राम लालौनीहार में कृषि भूमि खसरा नम्बर 321, 322, 322/611, 503 एवं 508 कुल किता 5 कुल रकवा 6 बीघा 19 विस्वा है जिसमें अपीलान्ट के पिता खूबी का 1/2 हिस्सा है। अपीलान्ट के पिता खूबी/ खूबा के निधन के बाद उसकी छोडी हुई उपरोक्त कृषि भूमि पर दिनांक 5.11.2009 को विरासतन नामान्तरकरण संख्या 675 खूबा के उपरोक्त सभी वारिशान जिसको शिजरे में बतलाया गया है, के नाम से स्वीकार हुआ है। जिसमे अपीलान्ट का नाम भी है। जो अपीलान्ट की स्वंय की ओर से कराया गया है। जिससे यह साबित है कि अपीलान्ट खूबा का पुत्र है, यदि अपीलान्ट स्व0 गोकुला का दत्तक पुत्र रहा होता तो उसके प्राकृतिक पिता खूबा की छोडी हुई जायदाद में से किसी प्रकार का अधिकार शेष नहीं रहता । रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने इस कथन से हम सहमत है कि नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिससे किसी के अधिकार तय नहीं होते। कथित गोद का बिन्दु नामान्तरकरण की प्रकिया में तय

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

नहीं किया जा सकता । उसके लिये सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट को स्वत्व घोषणा के लिये अपना बाद पत्र प्रस्तुत कर तय करा सकता है इसके लिए अपीलान्ट स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 882 दिनांक 16.6.2018 वाके ग्राम लालौनीहार तहसील बाडी को यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 882 दिनांक 16.6.2018 वाके ग्राम लालौनीहार तहसील बाडी को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर के जायसवाल)
जिला कलक्टर धौलपुर